

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1285/2025

प्रकाश

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 11 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – श्रवण कुमार, अजीत कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, तन्मय कृष्ण श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या – 17**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल शुक्ला और विरोधी पक्षकार संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री तन्मय कृष्ण श्रीवास्तव को सुना।
- इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक उपयोगिता भूमि, जिसका गाटा संख्या 322 है और जो ग्राम- फरहादपुर, हसनगंज, जिला- उन्नाव में स्थित है और राजस्व अभिलेख में रास्ता/सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज है, से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
- प्रारंभ में, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण प्रभाग-1 के अधिशासी अभियंता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर यह कथन प्रस्तुत किया कि अतिक्रमणकारियों को तीन दिवस के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद, जैसा कि निर्देशों में कहा गया था कि याचिका जनहित में दायर नहीं की गई थी, न्यायालय ने विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से दो विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर मांगे: (1) क्या विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद लंबित है और (2) यदि ऐसा कोई वाद लंबित है, तो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

क्या राज्य ने उस वाद में कोई आवेदन दायर किया है। दिनांक 25.01.2026 को, हसनगंज, उन्नाव के उप-जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग, उन्नाव के निर्माण प्रभाग-I के अधिशासी अभियंता ने विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया कि विरोधी पक्षकार संख्या 7- रमा शंकर ने भूमि गाटा संख्या 322 और 328 पर एक दुकान का निर्माण किया है। रमा शंकर ने स्थायी निषेधाज्ञा हेतु नियमित वाद संख्या 25/2013 दायर किया था, जिसमें दिनांक 17.01.2025 को एक आदेश पारित कर पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.01.2026 में यह दर्ज किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार नियमित वाद संख्या 25/2013 में पक्षकार नहीं है और उक्त वाद में पारित कोई भी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश राज्य सरकार या उसके अधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं है। दिनांक 17.01.2013 के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की एक प्रति विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिए गए लिखित निर्देशों के साथ संलग्न थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी (विरोधी पक्षकार पक्ष संख्या 7) ने स्वयं को दुकान का किरायेदार होने का दावा किया था और यह वाद किरायेदारी अधिकारों के आधार पर दायर किया गया था। उपरोक्त तथ्यों से, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि:-

(क) अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादी के विरुद्ध प्रभावी थी, न कि राज्य सरकार या उसके अधिकारियों के विरुद्ध;

(ख) यह अस्थायी निषेधाज्ञा मात्र मकान मालिक को वादी द्वारा विधि के विरुद्ध संपत्ति का निस्तारण करने से रोकने के लिए थी। चूंकि राज्य सरकार वादी की मकान मालिक नहीं है और वादी उसका किरायेदार नहीं था, इसलिए यह निषेधाज्ञा राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं थी।

(ग) यह आदेश मात्र सम्यक प्रक्रिया अपनाए बिना विरोधी पक्षकार संख्या 7 को बेदखल करने के विरुद्ध था और इसमें विधि के अनुसार अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं थी।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि अतिक्रमणकारी पिछले 13 वर्षों से अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के आधार पर सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग कर रहा था।

4. उपरोक्त पक्षों पर विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिए गए निर्देशों में विचार नहीं किया गया था, इस न्यायालय ने हसनगंज, उन्नाव के उप-जिलाधिकारी को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रस्तुत करने का अवसर दिया था।

5. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में हसनगंज, उन्नाव की उप-जिलाधिकारी सुश्री प्रज्ञा पांडेय इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं और उन्होंने अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा कि भूमि गाटा संख्या 322, श्रेणी 9(2) के अंतर्गत सड़क के रूप में दर्ज है, जो एक राज्य राजमार्ग है और लोक निर्माण विभाग, उन्नाव के नियंत्रण में है।

6. सड़क के एक भाग पर अतिक्रमण था, जिसके संबंध में लोक निर्माण विभाग, उन्नाव के निर्माण प्रभाग-1 के अधिशासी अभियंता ने 8 जनवरी 2026 को उप-जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि 29 अक्टूबर 2025 के नोटिस द्वारा अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। उक्त पत्र द्वारा अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया था।

7. उपरोक्त पत्र के अनुसरण में, उप-जिलाधिकारी ने 13 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित कर हसनगंज के नायब तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और इस आदेश के अनुपालन के लिए राजस्व अधिकारियों की एक टीम गठित की गई। अतिक्रमण 2 फरवरी 2026 को हटा दिया गया है।

8. शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भूमि लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में सड़क के रूप में दर्ज है, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का उचित उल्लेख नहीं किया है; उसने मात्र यह कहा है कि विचाराधीन भूमि राजस्व अभिलेख में एक रास्ता के रूप में दर्ज है।

9. उप-जिलाधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त है। चूंकि विचाराधीन अतिक्रमण पहले ही हटा दिया गया है, इसलिए इस याचिका में विचार करने के लिए और कुछ शेष नहीं है, इसलिए इसे तदनुसार *निस्तारित* किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

6 फरवरी, 2026

प्रदीप